

डिगरी बमूकदमें इब्तादाई
(ओ 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मेड़ता व इजलास श्री हीरालाल मीना आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 413/2018

वादी :- राजूराम पुत्र श्री पूनाराम, जाति जाट, निवासी खाखड़की तहसील
मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पूनाराम पुत्र श्री भोलाराम
 2. अमराराम पुत्र श्री पूनाराम
 3. चुनकी पत्नी श्री पूनाराम फौत
 4. रामेश्वरीदेवी पुत्री श्री पूनाराम
 5. जिमनादेवी पुत्री श्री पूनाराम
- सभी जाति जाट, निवासीगण खाखड़की
तहसील मेड़ता जिला नागौर।
6. तहसीलदार, मेड़ता।
 7. पटवारी हल्का, खाखड़की।

दावा बंटवाड़ा घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :-20.08.2018

दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा, मुकदमा
413 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी
वकील वादी मिनजानिब मुदई व वकील प्रतिवादीगण मिनजानिम
मुदयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व माफिक राजीनामा डिगरी दी
जाती है कि वादी के बंट में :- मौजा खाखड़की की सरहद में स्थित खेत
खसरा नम्बर 312 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पूर्वी, खसरा नम्बर
348 रकबा 3.8249 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा उत्तरी-पूर्वी, खसरा नम्बर
896 रकबा 0.85 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी, खसरा नम्बर 897
रकबा 1.15 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी, खसरा नम्बर 1512/525
रकबा 0.83 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पूर्वी तथा खसरा नम्बर 391 रकबा
0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393
रकबा 2.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 2.02 हैक्टेयर कुल रकबा 4.17



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

हैक्टेयर(जो मौके पर एक ही चक में है) में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ की भूमि वादी के बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में :- मौजा खाखड़की की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.95 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1122 रकबा 1.83 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में :- मौजा खाखड़की की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 312 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी, खसरा नम्बर 348 रकबा 3.8249 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी-पश्चिमी, खसरा नम्बर 896 रकबा 0.85 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पूर्वी, खसरा नम्बर 897 रकबा 1.15 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पूरवी, खसरा नम्बर 1512/525 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी तथा खसरा नम्बर 391 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 2.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 2.02 हैक्टेयर कुल रकबा 4.17 हैक्टेयर(जो मौके पर एक ही चक में है) में से 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपना हक तर्क किया है।

तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो, अन्यथा आदेश नहीं हो, विधिक बाधा नहीं तथा भूमि रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।

लीज..... मुबलिक..... बाबत.....
 . खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर..... फोस सदी सालाना
 आज तारीख तारीख वसूलयोबो तक..... को अदा करे।
 बसीब्त पेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... 31
 माह..... 08 सन् 20 18

दस्तखत..... अधिकारी
 ओहदा..... मेड़ता (राज.)

